

Documentation

First Registration of the Society-2002

पत्रायली संव जर प्रमाण-पत्र (अधिनियम संख्या 21,1860 के अधी -20 02-संख्या 2003 एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि लेपर आमिस वेलपे गेर कुर्खारा, हरवाई रोड, न्य 5.417 「記録記」が見ていい को आज उत्तर प्रदेश में जपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्द्रेशन अधिनियम्, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र राक्त, विधिमान्य होगा । आज दिनांक दो हजार मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ਹਟੇ पीo एसo पूर्व पीo-एव पीo 1 फर्म जिवन्द्रक-17-5-2000—(605)—40,000—(कन्पूटर/आफोट) いいのうう Serser. For Care Promise Weifard Society inger ittas ela Secretary

नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक 130261	1
प्रारूप - 9	
नियम 8 (2) देखिये	-
संख्या 5785	1
सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र (अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)	
नवीकरण संख्या पत्रावली संख्या दिनांक	
1 424798 2002-2003	
1321 एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है किकैयर प्रामिस वेलफेकर	
सोसाइटी , 95 / 27, आर्य समाज मंदिर रोड, गणेशगंज, लखनऊ। को	
दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र	
	-
1100	1
b	*
जारी करने का दिनांक	1.15
J. Oliverski	
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० २ सो० फर्म एवं चिट्स–२1−11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क0 / टी० / आफसेट)।	

Registration Certificate Valid up to 12th July 2017

संख्या उन्हर जिनीया सिसाइट्री के नवीनीकरण का प्रमाण – पत्र
नवीकरण संख्या 946-2012-2013
फाइल संख्या 1-134788
एलद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि केयर प्रामिस वेलफेयर सोसाइटी
95/27, आर्य समाज मंदिर रोड, गणेशगंज, लखनक।
को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र संख्या712/2002-2003
दिनांक <u>12/07/2002</u> को दिनांक <u>12/07/2012</u> से पांच वर्ष की अवधि
के लिए नवीकृत किया गया है ।
1000 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।
दिनांक 13/07/2012
20
सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
त्रात्तर प्रदेश ।

Income Tax 80-G Certificate (Valid indefinitely)

 F.No. T-1/CIT-II/LKO./80G(R)/220/2011-12
 Dated : 08.07.2011

 ORDER UNDER SECTION 80G(5)(vi) OF THE I.T. ACT, 1961

 1.
 Name of the applicant. :
 M/s Care Promise Welfare Society, 95/26, Arya Samaj Mandir Road, Ganeshganj, Lucknow - 226018.

 2.
 Date of receipt of application. :
 27.05.2011

 3.
 Date of order. :
 08.07.2011

The above named Society filed an application under section 80G(5)(vi) of the Income Tax Act, 1961 on 27.05.2011 seeking renewal of approval under the said section.

2. The Society is approved under section 80G(5)(vi) of the Income Tax Act, 1961 vide order of Commissioner of Income Tax – II, Lucknow F.No. T-1/CIT-II/80G/155/Renewal/2008-09 dated 29.06.2009 with validity upto 31-03-2011.

3. On 08-07-2011, Shri Rajeev Gupta, FCA, attended with Power of Attorney and filed letter stating that, since provise to section 80G(5)(vi) of the Act has been omitted from 01-10-2009, the requirement for seeking further renewal of approval u/s 80G(5)(vi) was not applicable. The case was discussed.

4. Since the Society has already been granted approval upto 31-03-2011, the earlier approval granted to the Society is being allowed to continue.

(Anand Deep) Commissioner of Income-tax-II, Lucknow.

Copy to :-

1. The applicant.

- The Joint C.I.T., Range 5, Lucknow.
- 3. The ITO, 5(1), Lucknow.



(Sanjiv Ranjan Srivastava) Income-tax Officer (Tech.), O/o Commissioner of Income-tax-II,

(Sanjiv Ranjan Selvastava) , Lucknow locene Tax Officer (Tech.) ole Commissioner of Income Tax-II

An extract from:-

Circular No 7/2010 of INCOME TAX ACT regarding validity of 80G. It is proposed to omit the proviso to clause (vi) of sub-section (5) of section 80G to provide that the approval once granted shall continue to be valid in perpetuity. This amendment will take effect from 1st day of October, 2009.

In view of the above the exemption granted to our society under section 80G (50%) is valid till rescinded.

Income Tax 12-AA Letter Dated – 8th Sept, 2003

" Traces भारत सरकार कार्यालय आयकर आयुक्ते,, लखनऊ। Care Promise Welfare Society, Hardoi Road, Chowk, है, के पंजीकरण का प्रार्थना-यत्र आयाकर अधिनियम की धारा 12 के क' के अधीन बिहित प्रारूप में रिनॉक: 10.3.2003 . को दिया है जो कि 'निर्धारित अवधि थें समय से है। इत अर्जी को इस जायलिय में प्रमुक्त धारा 12 क क" के राजिस्टर में पंजीवृत कर दिया गया है। एवं क्रम संख्या ???. ?. /2003-04 पर अंकित कर दिया गया है। AJESH TIWIANIS आयकर अधिकारी ईमुठईतवनीकी, ख्ते आयकर जानुबन, लखनऊ। भारत सरकार कायालिय आयकर आयुक्त_1 लखनऊ। फाइन संख्या. 50 300, 1002:03 06, 00. लखनऊ: दिनाक: ... 08.9.2003. प्रतिलिपि के धितः Mago al. Lare. Promise. Welf, are . Sociaty, A1.7. ... Peer Bukhare, Hardoi Road, Chowk, Lucknow. 2. सङाम्बङ *आम्बङ *अम्बुर्नु/आयकर अधिनारी. .2(.3).,-Luckora... आयतर आर आयुक्त/उपायुक्त .Bauge=11,Lucknow..... 3. को सचनार्थ। neer & Rajesh Tiwari, आयणर अधिकारी हमुठई तकनीकी, कते आयकर उानुबन, लखनऊ। ×आई० मी० मासयाग× 1-1

First Letter Of FCRA (To Get Foreign Funds)

Registered

N0.II/21022/83(0072)/2009-FCRA-II Government of India/Bharat Sarkar Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

> Room No.18 DSH Jaisalmer House, 26 Mansingh Road, New Delhi-110011 Dated :29/12/2009

The Chief Functionary, Care Promise Welfare Society 331-1st Floor, Sant Nagar, East of Kailash New Delhi,Delhi Delhi-110065

Subject: Registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976.

Sir/Madam,

To

With reference to your application dated 06/05/2009 requesting registration under the Foreign Contribution(Regulation)Act, 1976. I am directed to say that your Association has been registered under Section 6 (1) (a) of the Act as follows:-

Registration Number : 231661074 Nature : Cultural Social

2. You are advised to send intimations within the prescribed time to the Central Government of the amounts of each foreign contribution received by you, the source and the manner in which the foreign contribution was utilised, as per the provisions of the FC (R) Act, 1976 and the rules framed thereunder. An association is required to furnish the return even when the particulars are 'NIL'. The FC-3 form may be submitted on line on this Ministry's website <u>http://mha.nic.in/feraweb.fc_online.htm</u> using the user name (cpwsngo) used for online submission. The Bank Account mentioned in your application should be used for receiving foreign contribution and no other amount should be credited to this account. The Association should immediately intimate to this Ministry and obtain written confirmation regarding any change in the name of the Association, its address and Bank/Bank Account.

3. The association cannot bring out any publication(registered under PRB Act.1867) or act as correspondent, columnist, editor, printer or publisher of a registered newspaper at a later stage thereby attracting provisions of the Section 4(1) (b) of the FC(R) Act. 1976. In addition to this, the association is forbidden from getting involved in any activity of political nature.

4. You should also ensure before any funds are passed on to any person/association in India that the recipient is (i) eligible to accept foreign contribution under the Act, i.e., recipient association is registered under the Act, or has obtained Prior Permission of the

Government under Section 6 of the Act, and (ii) the person/association is not prohibited under Section 4 of the Act.

 Failure to comply with any of the above provisions will make you liable for action under the provisions to Section 6(1) and/or under Section 23(1) of the Foreign Contribution (Regulation)Act, 1976.

Yours faithfully

(H.K.Kawlienthang) Under Secretary to the Govt. of India Tel. No. 23387436 (Please visit our website at http://mha.nic.in) (cor. 8. controlling) (cor. 8.

N0.11/21022/83(0072)/2009-FCRA-II Copy to:

The Manager Indian Bank Hauz Khas,New Delhi,Delhi(dist) Delhi

With the request to confirm that SB/CA Account no. Saving-408309969 has been opened by the above association exclusively for receiving foreign contribution. The Bank is also requested to send intimations regarding inward remittances received by the association to the Ministry on yearly basis.

> (H.K.Kawllienthang) Under Secretary to the Govt. of India Tel. No. 23387436

Please see Letter for Change of Account Number on next page

Letter for Change of Account Number

REGISTERED

N0.II/21022/83(0072)/2009-FCRA-I Government of India/Bharat Sarkar Ministry of Home Affairs/Grin Mantralaya

> NDCC-II Building, First Floor(FCRA Wing), Opposite to Jantar Mantar, Jai Singh Road, New Delhi - 110001 Date : 22.5.2015

To,

The Chief Functionary Care Promise Welfare Society 331-1st Floor, Sant Nagar, East of Kailash New Delhi-110065

Subject: Change of designated Bank of the association for the receipt and utilization of Foreign contribution/registration under FC(R) Act, 2010.

Sir/Madam,

I am directed to refer to your application dated 16/02/2015 on the subject cited above and to convey the approval of the central Government to the change of Bank of the association from I.C.I.C.I. Bank account NO 071901001658 to HDFC Bank Account NO 502000099 69 25 7.

2. The registration number of your Association and nature would remain the same, viz.

Registration Number: 231661074 Nature: Cultural Social

Yours faithfully,

reel

(C.K. VERMA) Section Officer Tel. No. 23438044



भारत सरकार विस्त मजानय राजस्य विभाग सामाजिक और आर्थिक कन्यास की अभियुद्धि के लिये राष्ट्रीय सांसति

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Nationul Committee for Promotion of Social and Economic Wellarg Room No. 17. Church Road Hutments, North Block, New Dethi-110001

V.27011/ 147/2014-SO(NAT.COM) New Delhi, the 16th March, 2016

To,

Managing Transfel Care Promise Welfare Society, 331, First Floor, Sant Nagar, East of Kailash New Delhi-110065

Subject: <u>Notification under Section 35AC of the Income Tax Act,1961 as</u> recommended by the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare – regarding.


Sir.

1 am directed to refer to your letter on the above mentioned subject and to say that on the basis of recommendations of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare (Department of Revenue), New Delhi, it has been decided to approve your Association/Institution and the project as notified under Notification No. S.O. 1103(E) dated 15th March, 2016, a copy of which is enclosed for your ready reference.

2. The approval is subject to the following conditions:-

(i) Out of total beneficiaries of the project, at least 50% beneficiaries must belong to economically weaker sections of the society whose income is below Rs.18000/per annum and they should be provided free ship. However, this shall not apply to cases, where the services or facilities are to be provided free of cost completely to all the beneficiaries.

- (ii) A complete record of such beneficiaries is maintained including their names and addresses, the nature of services provided and the fee charged, if any. The record should be open for verification at any given time.
- (iii) Violation of conditions may entail taxation of the entire amount of donation in the hands of the institution.



assets created were to be handed over to such authorities.

File No. V.27011/147/2014-SO(NAT.COM)

-3-

7. Failure to conform to these terms and conditions may result in the withdrawal of the approval of the project or scheme and will also be taken note of while considering any other project or scheme submitted by an Association Institution Organization. The withdrawal of approval may entail taxation of the entire amount of donation in the hands of the organization.

8. For grant of extension of period of approval, if required, the organization/trust/institution shall apply at least three months before the expiry of the period of exemption.

 Receipt of this letter may please be acknowledged. <u>AboveFile Number must be</u> mentioned in future communications.

Yours faithfully,

(P.K. Jain) Section Officer (National Committee) Tele: 2309 2598

Copy to:-

CCIT Delhi alongwith a copy of the notification with a request to forward the same to the jurisdictional CIT.

(P.K. Jain) Section Officer (National Committee) Tele: 2309 2598

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)] GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE) <u>NOTIFICATION</u>

New Delhi, dated the 15th March, 2016

S. O. *IIO3*(E): - In exercise of the powers conferred by sub-section (I) read with clause (b) of the Explanation to Section 35 AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendation of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, hereby notifies the institutions approved by the said National Committee, mentioned in column (2) of the Table below, and approves the eligible projects or schemes specified to be carried on by the said institutions and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the said Table, and also specifies in the column (4) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said section 35 AC for the period of approval, namely:-

Seri al No.	Institution	Project or scheme and estimated cost thereof	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC and period of approval		
(1)	(2)	• (3)	(4)		
Lo	Alternative for Rural Movement AT: Parulia, PO Asti; VIA: Baliapal Dist, Balasore Odisha-756026	Vocational Skill Development Training for Economic Empowerment of Women, Youth and Establishment of Health, Care Centre for the Economically Backward People in Balasore District. Rs 28.95 crore.	The Committee recommended approval for the project at the estimated cost of Rs. 28.95 Crore for three financial years commencing with financial year,		
2.	Fazlani Aishabai & Haji Abdul Latif Cluritable Trust 21st Floor, Nirmal, Nariman Point, Mumbai-400021,	Maintenance of present activities and starting connected activities for economic growth of people of rural area. Rs. 32.55 crore.	The Committee recommended approval for the project at the estimated cost of Rs. 32.55 Cron for three financial year commencing with financial year 2015-16 i.e., 2015-16, 2016-17 and 2017-18.		
3	Harijan Sevak Sangh Gandhi Ashram Kingsway Camp, Delhi+110009,	Harijan Sevak Sangh – Ladies Hostel Construction Ground + 1st floor, S.No.378/2, Block No.24, Door No.77, Me Nicholas Road, Chepter,	The Committee recommender approval for the project at the estimated cost of Rs. 8.43 Cron- for three financial year commencing with financia		

TABLE

		West Bengal- 713150		commencing with financial year.2015-16 i.e., 2015-16, 2016-17 and 2017-18.
~ ~	10	Care Promise Welfare Society, 331, First Floor, Sant Nagar, East of Kailash New Delhi- 110065.	Community Health Care Centres (Dispensaries) exclusively for women and children upto 12 years of age in rural areas of Uttar Pradesh Rs. 10.68 crore.	The Committee recommended approval for the project at the estimated cost of Rs. 10.68 Crore for three financial years commencing with financial year.2015-16 i.e., 2015-16, 2016-17 and 2017-18.
	17	Magie Bus India Foundation Todi Estate, No. 5 A Wing 2nd Floor, Sun Mills Compound Lower Parel (w) Mambai – 400 013.	Magic Bus skill development & livelihood Programme in all the states of Iodia. Rs. 54.00 Crore.	The Committee recommended approval for the project at the estimated cost of Rs. 54.00 Crore for three financial years commencing with financial year.2015-16 i.e., 2015-16, 2015-17 and 2017-18.
	18	Pavitra Eduction Trust, A-74, S/F Swashihiya Vihar, Near Bal Bhawan Public School, Delhi-110092.	Literacy Awareness Programme for the Sustainable Development of the marginalized People at	The Committee recommended approval for the project at the estimated cost of Rs. 2.00 Crore for three financial years commencing with financial year.2015-16 i.e., 2015-16, 2016-17 and 2017-18.
	19	Gramin Vikas Trust Veer Annex, Ist Floor, behind Circuit House, Abu High Way, PalanpurDoar, Bunaskantha, Gujarat	Construction of Hospital. Rs. 9,39 crore.	The Committee recommended approval for the project at the estimated cost of Rs. 9.39 Crore for three financial years commencing with financial year.2015-16 i.e., 2015-16, 2016-17 and 2017-18.
	20	Don Bosco High School Society Vazira Naka Borivali West Muhaa Muharashira- 400091	Don Bosco Jr. College and Information Technology, Rs.1419.30 lakh.	The Committee recommended approval for the project at the estimated cost of Rs. (210-30) lakh for three financial years commencing with financial year, 2015-16 (e., 2015-16, 2016-17) and 2017-18.
	-21	Nirmaya Arogya Dham, 52-C. Gold Finch Peth, Navi Peth,	2) Child fiving with HIV/AIDS (CLHA) A project	The Committee recommended approval for the project at the estimated cost of Rs. 1,29 Crore for three financial years

Pan Card





सम रा॰ 10278 रतम्म निमय मा लिस २ पि ि क्यां रतम्म माव समे जा तर्ग २ पि क्यां क्यां रतम्म माव समे जा तर्ग राज क्यां क्या स्टाम, जा बार्ग राजी रिज सिविज के सिविज के सिविज के सिवज के सि AND DESCRIPTION OF THE TAXABLE TO A Law star

	Sec.	and the second second	-
संश	घत	स्मृति	43
11.00	11-22-21	10 m Mar 10 m	

- 9. संस्था का नाम : केयर प्रामिस वेलफेयर सोसाइटी
- २. संस्था का पूरा पताः 95/27, आर्य समाज मंदिर रोड, गणेशगंज,

लखनऊ

- संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष ।
- ४. संस्था के उद्देश्य :
- ९ सूचना शिक्षा संचार सामग्री का निर्माण करना, बच्चों को शिक्षित करने में मदद करना व उनके रवारथ का ध्यान रखना।
- संचार रणनीति तैयार करना जिससे सामाजिक विकास के बारे में लोग अधिक से अधिक जागरूक हो सके।
- ३ विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रमों का निर्माण करके लोगों को स्वास्थ व शिक्षा के बारे में जागरूक करना हेल्थ चेकप कैंप करना तथा पेशेन्ट केयर सेन्टर, कैंसर डिटेक्शन सेन्टर, मोबाइल वैन का निर्माण करके जिससे लोग अधिक से अधिक लामान्वित हो सरकार की पूर्व अनुमति से।
- 8. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए (स्वयं सहायता समूह) विभिन्न प्रकार के रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यकम तैयार करना।
- भू सामाजिक विकास के लिए समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगो को प्रशिक्षित करना।
- सहभागिता वाले कार्यक्रम चलाकर अधिक से अधिक लोगों को कार्यक्रम से जोड़ना।
- 9. पर्यावरण संरक्षण एवं नशा उन्मूलन कार्यक्रमों तम्बाकू निषेध कार्यकर्मों का संचालन करना तथा इनके प्रति लोगों को जागरूक करना।

बेसहारा लोगों को मदद करना उनको रोजगार में सहायता करना तथा रोजगार देना बंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की आर्थिक सामाजिक एवं शारीरिक रूप से मदद करनेग्र ।


आकरिमक प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को बचाना तथा उनकी सहायता करना । बच्चों य शिशुओं के सर्वांगीण विकास के लिए उपर्युक्त शिक्षा प्रणालियों तथा कल्याण संबंधी, जानकारी उपलब्ध कराना और बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीक तथा वैकल्पिक के नाध्यम से प्रतिरक्षित कराने की व्यवस्था करना।

दश व विश्व की जनसंख्या नियंत्रण में जन जागरण के माध्यम से प्रभावी कदम जेठांकर लोगों को स्वास्थ रक्षण तथा परिवार नियोजन संबंधी मार्गदर्शन कराने के प्रयास करना तथा समाज में पुरुष व महिला के अनुपात को ध्यान में रखते हुए कन्या भूण हत्या के बारे में जागरूक करना एवं इसे रोकने में मदद करना।


Nadhumite

glohan Kusha Qube

द्रतिलिपि गणनिय जिल्ही बचित्रस्टल रारियान्द्र लखा दि



- 43. समाज में व्याप्त मानसिक प्रदूषण, वातावरण प्रदूषण एवं आतंकवाद, अलगाववाद समाप्त कराने में शालन के साथ संक्रिय भागीदारी निभाना।
- अ. समस्त मानव जाति के नैतिक बौद्धिक मानसिक, शैक्षिक, शारीरिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास हेतु कार्यक्रम संचालित करना।
- 99. समाज कल्याण विभाग उ०प्र० केन्द्रीय एवं राज्य कल्याण सलाहाकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, माबार्ड, सिठबी, मानव संशाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डवकरा, सिफसा, सैफ इण्डिया, हेल्येज इण्डिया, केयर राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा डूडा, आयुष एवं मारत सरकार द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का ग्रामीण एवं नगरीय विकास योजनाओं का प्रचार प्रसार व संचालन करना।
- 9६ स्कूलो एवं विद्यालयों में इन बीमारियों जैसे एड्स, कैंसर, हैंपटाइटिस जैसी अन्य धातक बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना एवं वहीं से जो भी को प्राप्त कर जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाना तथा इन बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की मदद करना।
- 9७. छात्रों, आम जनता और निर्माण/समाज के गरीब लोगों के लिए तथा स्कूलों में शौचालयों के निर्माण, मरम्मत और साफ-सफाई की सुविधा एवं गरीब लोगों हेतु स्वच्छता सुविधा सहित "स्वच्छ भारत अभियान" से संबंधित सभी कार्यक्रमों के लिए काम करने के लिए।
- 9c. वृक्षारोपण कार्यकम/पर्यावरण कार्यकम, गैर पारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम आदि आयोजित करने से पर्यावरण की वर्तमान स्थिति की बेहतरी के लिए काम करने के लिए।
- 95. विभिन्न जागरूकता शिविर और अपशिष्ट पदार्थों के उचित निपटान से संबंधित सेमिनार आयोजित करने, केमिकल एवं वेस्ट मटेरियल के निपटाने के लिए ऊर्जा और सामग्री का पुनः उपयोग और उचित निपटान जगह के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग, उत्पन्न करके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों को बढ़ावा देने के लिए।
- २०. कम लागत के आवास के निर्माण के लिए भी कमजोर वर्ग के लोगो Rural और जे जे/ रलम क्षेत्रों के लिए अपशिष्ट सुविधाओं, सिंचाई सुविधा एवं पीने योग्य जल उपलब्ध कराने और करने के लिए।
- २१. संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अनुसंधान, अध्ययन, सर्वेक्षण, चर्चा, सम्मेलन और विषयों को शरू करने के लिए।



A loss has not been and to have been a first and the second अप्तात का वन्ध्यि प्रता स्वते ह ~~~~ 花の茶町~~~ ा अस्य की गई-

संख्या का नाम : केयर प्रामिस वेलफेयर सोसाइटी. । २. संख्या का नाम : केयर प्रामिस वेलफेयर सोसाइटी. । २. संख्या का पता : 95/27 आर्य समाज मन्दिर रोड गणेशगंज लखनऊ ३. संख्या का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष। ३. <u>संख्या की कार्यक्षेत्र</u> : सम्पूर्ण भारतवर्ष। ३. <u>संख्या की कार्यक्षेत्र</u> : सम्पूर्ण भारतवर्ष। ३. <u>संख्या की कार्यक्षेत्र</u> : तो व्यक्ति संख्या के विकास हेतु 5000/- स. एक बार में या इतने की व्यक्ति संख्या के विकास हेतु 5000/- स. एक बार में या इतने की मूल्य की सम्प्रील चल या अचल स्वर में निज्यार्थ गाव से देने वे संख्या के आर्थवन सदस्य होने।
 भ्रांस्था का नाम : केयर प्रामिस वेलफेयर सोसाइटी. । भ्रांस्था का पता : 95/27 आर्य समाज मन्दिर रोड गणेशगंज लखनऊ संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष। अंस्था की सदस्वता एवं वर्ग आर्जीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास देतु 5000/- स. एक बार में या इतने की मूल्य की सम्प्रोली चल या अचल रूप में निज्ञ्यार्थ भाष से देने वे संस्था के आर्जीवन सदस्य होने।
 २. संस्था का नाम : कैयर प्रामिस वेलफेयर सोसाइटी. । २. संस्था का पता : 95/27 आर्य समाल मन्दिर रोड गणेशगंज लखनऊ ३. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष। ४. <u>संस्था मी सदस्यता एवं वर्ग</u> आर्जीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 5000/- स. एक बार में या इतने ही मूल्य की सम्प्रोल चल या अचल रूप में निज्ञ्यार्थ भाष से देने वे संस्था के आर्जीवन सदस्य होंगे।
 संस्था का पता : 95/27 आर्य समाल मन्दिर रोड गणेशगंज लखनऊ संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष। <u>संस्था की सदस्यता एवं वर्ग</u> आणीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 5000/- स. एक बार में या इतने ही मूल्य की सम्प्रोल चल या अचल रूप में निरुवार्थ भाव से देंगे वे संस्था के आणीवन सदस्य होने।
 संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष । <u>संस्था की सदस्यता एवं वर्ग</u> आर्गावन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 5000/- स. एक बार में या इतने ही मूल्य की सम्पति चल या अचल रूप में निज्ञ्यार्थ भाव से देने वे संस्था के आर्गावन सदस्य होने।
४. संस्था की सदस्यता एवं वर्ग आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 3000/- स. एक बार में या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में निःस्वार्थ भाव से देने वे संस्था के आजीवन सदस्य होने।
४. संस्था की सदस्यता एवं वर्ग आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 3000/- स. एक बार में या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में निःस्वार्थ भाव से देने वे संस्था के आजीवन सदस्य होने।
ही मूल्य की सम्पतित चल या अचल रूप में लिज्याय भाव से देन व संप्रत के आगीवन सदस्य होने।
संस्था के आवीवन सदस्य होगे। ?
संस्था के आजावन संपर्थ लगा।
्राह्य के स्वार्थने में अपहला उहाते होंगे या संस्था के
सामान्य सबस्य : जो व्यक्ति संस्या के उद्देश्यों में आस्या रखते होंगे या संस्था के सामान्य सबस्य -
सामान्य संदर्भ विकास हेतु ९००/- रु. वार्षिक सदस्यता शुल्क धन्दा स्वरूप निःस्वार्ध भाव से देंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे <
• <u>भू सबस्यता की समायित</u> ः १. मृत्यु हो जाने पर ।
२. प्रायल या दिवालिया हो जाने पर ।
३. संस्था के विपरीत कानिकर कार्य करने पर । ४. २/३ बहुगत से अधिक्वास प्रस्ताव या त्याण पत्र पारित होने पर ।
४. २/३ बहुरात स आवश्यास अर्थाप या त्यार स
५. नियमित अप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
६. लगातार झीन बैठकों में अनुपरिवत रहने पर । ७. नैतिक जपराय में न्यापालय द्वारा वींपडत होने पर ।
 संस्वा के अंग / : अ.साथारण लभा
ब. प्रबन्धकारिणी समिति
 साधारण सभा गठम साधारण सभा का गठम आजीवन और सामान्य सदस्यों को मिलाकर
गटन द सामारण सभा का गठन जानवार जार का गठन
माम का त विशेष बठक
 बैठके साधारण सभा को सामान्य पठक सांच न रह का आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।
अवस्थरवापुरार रिवेग के सामान्य देठक की सूचना कम से कम १५ दिन संचना अवधि
सुचना अवयि : साधारण सना के रागान प्रदेश के कि यहां सदस्यों को दी जायेगी । कुम्म, सोगान्स पूर्व व विग्नेप बैठक की सुचना ७ दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी ।
पूर्व व विश्वाप बठक का पुरुष गर्भा के राजपूर्वि हेतु कुल सवस्यों में से २/इ सदस्यों की : साबारण सभा की गणपूर्वि हेतु कुल सवस्यों में से २/इ सदस्यों की
अन्यपुर्वति सम्पद्धति गणपुर्ति मान्य होगी ।
कारियात पांचुला गांच का विश्वेष वार्षिक अधिवेज्ञम साल में एक बार होगा विश्वेष वार्षिक अधिवेज्ञम की तिथि :सायारण राभा का विश्वेष वार्षिक अधिवेज्ञम साल में एक बार होगा
विशेष बार्षिक आध्यमन का रताय ? सायारण राणा का लिया मार्गति के २/३ सरस्यों, के बहुमत से जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के २/३ सरस्यों, के बहुमत से
A A BOOM A A A A A A A A A A A A A A A A A A
HIRITY HAI & HEAT OF THE IL - 1 Maker wich Bully -
Halen unde Only
How How -
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · ·
बरिग्ठ तहामण बार्बालय बिन्दी पविषद्वाप
कर्ष डोताइटीव तथा थिएम
7

प्रवन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना ।

२. संस्था का वार्षिक बजट पास करना ।

रूप में दी जायेगी।

३. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।

 संस्था के नियमों एवं विनियमों में २/३ सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन करना ।

🗴 : साधारण सभा द्वारा निवर्धिवत सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी

 प्रयन्धकारिणी समिति को सामान्ध बैठक साल में चार बार व विशेष बैटक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।
 प्रयन्धकारिणी समिति को सामान्य बैठक की सुचना कम से कम ७

दिन पूर्व व विशेष बैठफ को सूचना २४ घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित

ः प्रबन्धकारिणो समिति को गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से २/३

 प्रथम्यकारिणी समिति के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के २/३ सदस्वी

सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।

समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-एक, उपाच्यक्ष-एक, सचिव-एक कोषाध्यक्ष-एक एवं सदस्य-१९ होंगे। इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर १४ होगी वो आवश्यकतानुसार बढाई और बढाई भी जा सकती है ।

<u>प्रबन्धकारिणी समिति</u> गठम

बैठक

सूचना अवदि "

गणपूर्ति 🖌

रिक्त स्थानों की पूर्ति -

> ९. संस्था को उन्मति के लिए आवश्यक कार्य करना ।
> २. संस्था का वार्षिक वजट व वार्थिक रिपोर्ट तैयार करना ।
> ३. उद्दरेश्यों की पूर्ति हेतु विवेश के व्यक्तियों, विवेशी सरकारों, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकायों, विवेशी सरकारों, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकायों, वर्तनशील व्यक्तियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी-अर्थसरकारी कार्यालयों, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडयी, मानवसंसायन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डवाकरा, सिफ्सा, सैफ इण्डिया, नेहरू युवा कल्याण मण्डल, हैल्टेज इण्डिया, वन विभाग, विकलांग विभाग/निदेशालय/आयोग/बोर्ड/निगम, स्वाब्य विभाग, विकलांग विभाग/निदेशालय/आयोग/बोर्ड/निगम, स्वाब्य विभाग, शिक्षा विभाग, पर्वावरण मंत्रालय, पशु विभाग, मानव, संसायम/, प्रक्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आरठसी०रखा, जूर्वपी०डी०ए०रएस०पी०,

Alunvi

स्वास्थ्य मंत्रालय, समाज कल्याण, महिला कल्याण निगम, महिला कल्दाण बोर्ड, पर्यावरण विभाग,पचायती राज्य, इण्डिया, केयर, भूमि सुधार निगम,स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, आक्सफेम, राजीव गाँधी फाउन्डेशन, नगर निगम, पंचापती राज्य इंडिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष विश्व बैंक, सूठा, डूडा, बैंकों, विलीय निगमों, राष्ट्रीय एवं वित्तीय संस्थानों, गेंट्स एण्ड मेलिण्डा फाउन्हेजन, तथा खावी प्रामोधोग बोर्ड/आयोग/कमीजन से बैंक ऋण अनुदान एवं विलीप सहायता प्राप्त करना। ४ संस्था की उपसमितियां/शाखाओं का गठन करना और उन पर नियंत्रण करना । # ५. जो भी व्यक्ति एवं संस्था/विभाग/अधिकारी वर्ग/सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था को सदस्यता प्राप्त हेतु यानकर्ता/सहयोगकर्ता सहयोग करेंगे तो उन्हें सी०पी०डब्लू०एस० के नाम चक देना कार्यकाल : प्रवन्धकारिणी समिति का कार्यकाल ५ साल का होगा । 🖊 E. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य : 9. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना। जग्राम् स २. दैठकों के लिये दिनांकों का अनुमोदन करना, परिवर्तन करना व बैठकों को स्वागित करना। 3. बैठकों के लिये लिवि का निर्धारण करना। ४. सामान्य मत होने पर एक निर्णायक मत देना। ५. संस्था के विकास हेतु पूर्ण सहयोग करना। ६. बैठक में शान्ति व्यवस्वा कायम रखना। अव्यक्ष की अनुपरिवति में अव्यक्ष द्वारा सीचे गये कार्य समिति के उपाध्यक्ष हित में करना। संस्था के विफास हेतु आवश्यक कार्य करना। सचिय संस्था की ओर से पत्न व्यवहार लिखना। कार्यवासी रजिस्टर पर लिखना। 3. संस्था थे बिल बाऊचरों पर इस्ताक्षर करना व करवाना। 8. पस-विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना। 4. लेखों एव विलोखों पर हस्तावर करना व करवाना। ε. पारित थजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृत देना। 19. कर्मचारियों की मियुक्ति, निष्कासन, पदोल्नति व वेतनवृद्धि अध्यक्ष τ. के संस्तृति से करना। 1 Mohun Kenty Chief प्रत्य प्रशिति ofers harry लय विपरी ा लगा निवय AN THE

राजनों को सरमाय देनु जनवा में प्रत्यती में सालूनि प्राप्त -संस्थ की सामर कीत का उसकेत राजनाय देव निर्वाल करना। 11. साथ के जेन में जनन दिल्ला किसे के साथ देखे une per an erfent al pa ani à bit afapt 1.157.0 स्तरत के अभिनेत्र पर द प्रपत्र सुरक्षित गढरता. ध. सम्मा देश बाह्यती या उत्साह करना प्रत्यवालिये सोबीर वे निर्णये यो सार्योगत सार 1. जाय-साथ सा लेखा-सोला लेखार सरमा। २. संस्ट हे अभिनेत्र स्ट द प्रसा सुरदेश राजना। स्वस्थों से यभ व स्वेग प्राण करें उसकी यहा लिंव रसीचे देखा। संस्था से अविंद आदि का चार्व जल्हां।) जेपन को मरिन क्षेत्र सताबीत किने का मुख्यम करना दल बच्च प्राप्त कर स्तीब देखा। साम्य से नियमें पर विभिन्नी में संग्रेसन प्रविध संस्थ थे मिननी ता दिमिलनी है संशोधन, परिसर्गन क परिपर्वन गणान्ये वालेको सावाग तथा थे २/३ सहस्ते थे बहुमा से cluste a cluste fan alles : सीय ज स्तर लेग दिनी थी स्टर्नेज प्रत्यत प्रत हैंब य येल. 11. 1945 96 491 सामित में साथ के नाम से बात खेलका जय लेख जर्मन fenner steure efter te ebenan it siger preser it unt ा गंधाले दिव कोच: / 19. मुन्दा में जान मार का तेखा परिषण (प्रतिष्ठ) मान्द्र के तथा जब का लेखा पहिला इतिहाँ मुझेन्द्र झाहितर झह भराग जायेग । 13. संदेश में आहे. असले प्रसन्ने जिलत अपालने कार्यपत्री में संसालन का उलाव्यांकित : संगय के क्या जनवा उनके दिखात आधानले कार्यप्राते के संपत्नक मा उत्तरप्रदेशन सावेश पर होग या उसके जार जाविकृत विसी थे त्र मलि स होग। / त्राणा गीमरा, वायंत्र्यं विवरा, साथ गीमरा देव स्व त्या या विवरा तथा विवराय संपत्ति को वायंत्री संपत्ति विवरेश एक की यह २३ व भ वे अलगा की वार्ष्य -HE O DO ET URANT State Br STATES THE 18